राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2025

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

15वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 25.01.2025

- भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ''**राष्ट्रीय मतदाता दिवस**'' के रूप में मनाने का निर्णय आयोग द्वारा वर्ष 2011 में लिया गया था। इसी आलोक में इस वर्ष भी 15वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है।
- ''राष्ट्रीय मतदाता दिवस'' का उद्देश्य योग्य नागरिकों का निर्वाचक सूची में शत–प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ सभी हितधारकों की निर्वाचन प्रक्रिया में शत–प्रतिशत भागीदारी को सुनिश्चित कराना है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम ''**वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरुर डालेंगे हम**'' (**Nothing Like Voting, I Vote for Sure**) **है।**
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आलोक में दिनांक 25.01.2025 को ''**अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन परिसर, पटना**'' में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि बिहार के मुख्य सचिव, श्री अमृत लाल मीणा रहे। इस अवसर पर सभी उपस्थित नागरिकों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मीडिया एवं प्रशासनिक अधिकारी व कर्मियों को लोकतंत्र में अपनी आस्था रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भिक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गयी।
- इस अवसर पर दिये गये अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर SVEEP कार्यक्रम के आलोक में मतदाताओं तक पहुचने के लिए चलाये गये अभियानों जैसे हर घर दस्तक, घर–घर माईकिंग जैसे कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ''इन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं के मध्य मतदान की तारीख, समय और मतदाता पर्ची के वितरण और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किये गये प्रयासों को प्रभावी बनाया जा सका। लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 में बिहार का औसत मतदान प्रतिशत 56.28 रहा है जिसमें पुरूष मतदान 53.00 प्रतिशत रहा एवं महिला मतदान 59.45 प्रतिशत रहा। बिहार में महिला मतदान प्रतिशत पुरूषों की तुलना में लगातार अधिक रहा है जो लैंगिक रुप से समावेशी चुनावों को दर्शाता है परन्तु मतदान प्रतिशत का कम होना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में मतदान प्रतिशत को बढ़ाकर सभी मतदाताओं की भागीदारी को सक्रियता से सुनिश्चित करना पूरी निर्वाचन मशीनरी का ध्येय होना चाहिए।''
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2025 के अवसर पर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा Knowledge, Attitude and Practices (KAP) Baseline Survey पुस्तिका के हिन्दी संस्करण का विमोचन किया गया। बिहार में KAP Endline Survey, 2024 रिपोर्ट मतदाताओं की भागीदारी उनके व्यवहार एवं दृष्टिकोण को समझने में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष मतदाताओं की भागीदारी प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु रणनीति तैयार करने में मदद करेंगे। यह रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट के दिये गये लिंक https://ceobihar.nic.in/sveep.html पर उपलब्ध है।

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2025 के अवसर पर "Best Electoral Practices" के तहत निम्नलिखित पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान किया गया है।

  राज्यस्तर पर ''Best DEO Award'' के तहत तीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी को चयनित किया गया है:–

  1. वैशाली जिले के श्री यशपाल मीणा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पीएस–स्तरीय योजनाओं के तहत मतदाता सहभागिता बढ़ाने के प्रयासों के लिए।
  2. बाँका जिले के श्री अंशुल कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बाँका को निर्वाचन प्रबंधन में वित्तीय अनुशासन के अनुपालन हेतु।
  3. श्री नवीन कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार (लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 में तत्कालीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास) को मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए।

इसके अतिरिक्त 'बेस्ट ERO के लिये 05 अधिकारियों, बेस्ट AERO के लिये 10 अधिकारियों एवं बेस्ट BLO पुरस्कार' के लिये 40 मतदान केन्द्र पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि श्री अमृत लाल मीणा, मुख्य सचिव, बिहार द्वारा पुरस्कृत किया गया।

- इस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन राज्य के सभी जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं सभी मतदान केन्द्रों के साथ विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में किया गया तथा सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मतदाता शपथ दिलाई गई।

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री एच०आर० श्रीनिवास द्वारा संबोधन के क्रम में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 से संबंधित तैयारियों के बारे में बताया गया एवं सभी से आह्वान किया गया कि वैसे योग्य मतदाता जिनका निर्वाचक सूची में अभी तक निबंधन नहीं हुआ है, निर्वाचक सूची में अपना निबंधन करवा लेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया में सभी मतदाताओं एवं हितधारकों की भागीदारी को सुलभ, सुगम बनाने के साथ शंतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना ही निर्वाचन मशीनरी का लक्ष्य है और आगामी निर्वाचनों के आलोक में सभी तैयारियों को ससमय पूर्ण कर लिया जाना होगा।

- उन्होने आगे बताया कि अब निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि 01 जनवरी के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर हैं। इस तरह से अब एक अर्हता तिथि न होकर कैंलेडर वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ होती है। पहले की स्थिति में प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से पूर्व भारत का कोई भी योग्य नागरिक 18 साल की आयु पूरी करने पर निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता था। अब चार अर्हता तिथियाँ होने पर वे सभी योग्य मतदाता जो वर्ष में किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हो, निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने–हटाने, प्रविष्टियों को सुधारने व मतदान केन्द्र बदलने के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है और वोटर हेल्पलाइन एप या वोटर पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही ये सुविधा प्राप्त की जा सकती है। डिजीटल वोटर आई कार्ड (e-EPIC) को भी अब ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।

- अंत में राज्य के सभी मतदाताओं एवं हितधारकों को 15वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाऐं देते हुए राज्य स्तरीय समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

****